कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018/ 462 दिनांक :08 .01.2021

01. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
02. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा।
04. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
05. समस्त पीईईओ।

विषय :– विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां पुनः प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रसंग :– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक : 07.01.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक अधिकारी एस.ओ.पी. का पूर्ण अध्ययन करेंगे तथा एस.ओ.पी. की प्रति हमेशा अपनी टेबल पर रखेंगे एवं निम्नांकित निर्देशों की पालना करवाई जानी सुनिश्चित करेंगे :–

1. दिनांक : 16.01.2021 को आयोजित पी0टी0एम0 की बैठक में अभिभावकों को अवगत करावें कि बीमार अथवा बीमारी के लक्षण वाले विद्यार्थियों को विद्यालय नहीं भेजें।
2. विद्यालय में बीमारी के लक्षण पाये जाने पर उनके अभिभावकों को सूचित कर उसे चिकित्सा परामर्श एवं उपचार हेतु घर भेजे तथा स्वस्थ होने तक विद्यालय न आने दे।
3. ऐसे विद्यार्थी जिनमें रोग के लक्षण पाये गए हो अथवा बीमार हो, उनका रिकॉर्ड एक रजिस्टर में संधारित करें, जिसमें उसके नाम के साथ बीमारी के लक्षण पाये जाने की दिनांक तथा किसी अन्य विद्यार्थी के संपर्क में आए हो तो उन विद्यार्थियों का भी उल्लेख किया जावे। आवश्यकतानुसार इन संपर्क में आने वाले विद्यार्थियों को भी विद्यालय नहीं आने हेतु निर्देशित करें।
4. कोविड–19 के कारण संक्षिप्त किया गया पाठ्यक्रम संस्था प्रधान द्वारा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा तथा अपनी टेबल पर भी रखा जाएगा। उक्त संक्षिण किए गए पाठ्यक्रम एवं एस.ओ.पी. की हार्ड कॉपी निरीक्षणकर्ता अधिकारी विद्यालय निरीक्षण के समय आवश्यक रूप से अवलोकन करेंगे।

साथ ही निम्नांकित बिन्दुओं की पालना भी सुनिश्चित करेंगे :–

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तथा उनके कार्यालयों के अधिकारीगण SDM स्तर पर आयोज्य तथा PEEO स्तर पर आयोज्य बैठकों में आवश्यक रूप से भाग लेंगे।
2. विद्यालय खुलने से पूर्व तथा खुलने के उपरान्त एस0ओ0पी0 के अनुरूप विद्यालय संचालन हेतु सभी अधीनस्थ कार्यालयों (संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक) के अधिकारीगण अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों में विजिट कर सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगे।
3. बिन्दु संख्या 02 के विजिट के दौरान अधिकतम दो फोटो ग्राफ स्वयं के परिक्षेत्र (यथा – संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक/पी.ई.ई.ओ.) के वाट्सएप ग्रुप में डालेंगे तथा निदेशालय के ई–मेल पते : secondarydd35@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajsevak.com

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
02. शासन उप सचिव, ग्रह (ग्रुप–9) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
03. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

E:\Genral letter.docx

1212